प्रपत्र अहकाम

(नियम 26)

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 25/2001 अनवान सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना नाना बनाम सुरजभानसिंह वगैरा अंतर्गत धारा 145–146 दण्ड प्रक्रिया संहिता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
10-6-2011	पत्रावली पेश हुई। सायल की ओर से ए.पी.पी. उपस्थित। वकील गैर सायल पार्टी संख्या–01 श्री हिम्मत धनेरा उपस्थित। वकील गैर सायल पार्टी संख्या–02 श्री अमृत परिहार उपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में जाहिर हैं कि वकील गैर सायल पार्टी संख्या–01 श्री हिम्मत धनेरा द्वारा बहस में दलील दी जा रही हैं कि सरहद ग्राम नाना में स्थित भूमि वर्तमान खसरा नंबर 77, 72, 73, 74, 85, 75, 76, 78, 79, 80 कुल खसरा–10 कुल रकबा 35.22 हैक्टर है, जो भूमि गत् खसरा नंबर 11 रकबा 376 बीघा 19 बिस्वा के भू0 भाग से बनी हैं। वर्तमान अधिकार अभिलेखों में सायल सुरजभानसिंह की माता कुशाल कुंवर का 1/2 हि. 30.25 हैक्टर है तथा शेष भूमि गैर सायल पार्टी संख्या–02 के खातेदारी की हैं। पुर्व में भूमि चन्द्रभानसिंह की माता धनकुंवर पत्नि रामचन्द्रसिंहजी की खातेदारी थी, जिसमें से अधिकांश भूमि उसने बेच दी मात्र 4.97 हैक्टर भूमि वर्तमान में गैर सायल पार्टी संख्या–02 के खातेदारी की रही हैं। गैर सायल पार्टी संख्या–01 की माता कुशालकुंवर वृद्ध होने से सुरजभानसिंह आम मुख्त्यार के तौर पर मौके पर काश्त करता हैं। गैर सायल पार्टी संख्या–02 गैर सायल पार्टी संख्या–01 की माता की भूमि हडप करना चाहते हैं। इसी गरज से गैर सायल पार्टी संख्या–02 हमेशा शांति भंग करने की कोशिश करता हैं। गैर सायल पार्टी संख्या–02 व उसके आदमी गैर सायल पार्टी संख्या–01 की माता को एलानिया धमकिया देते हैं कि मौके पर आई तो जान से खत्म कर देगें। गैर सायल पार्टी संख्या–02 मात्र 4.97 हैक्टर का ही खातेदार है। गैर सायल पार्टी संख्या–02 जोर जबरदस्ती गैर सायल संख्या–01 की माता का हिस्सा हडपना चाहता है, गैर सायल पार्टी संख्या–01 जब भी मौके पर जाता है तो गैर सायल पार्टी संख्या–02 मारने को उतारू हो जाता है। अतः मौके पर परिशांति कायम रखने हेतु वादग्रस्त भूमि को धारा 146 सी.आर.पी.सी. के प्रावधानो अनुसार कुर्क में लिये जाने की दलील दी गई। इसके विपरित अधिवक्ता गैर सायल पार्टी संख्या–02 श्री अमृत परिहार द्वारा दलील दी जा रही हैं कि प्रकरण में वर्णित भूमि में गैर सायल पार्टी संख्या–01 का नाम त्रुटिपुर्ण है, वादग्रस्त भूमि संपुर्ण रकबा 35.22 हैक्टर पर एक मात्र कदीम से कब्जा काश्त शंतिपूर्वक पिछले करीब 50–59 वर्षो से भी अधिक समय से आज दिन तक श्रीमति धनकंवर धर्मपत्नि रामचन्द्रसिंहजी व उनके पुत्रगण चन्द्रभानसिंह, अजीतभानसिंह वगैरा का चला आ रहा हैं। गैर सायल पार्टी संख्या–01 श्रीमति खुशालकंवर पिछले 50–59 वर्षो से भी अधिक समय से ग्राम नाना में निवास नहीं करती हैं, वह ग्राम नाना छोडकर रामचन्द्रसिंहजी का घर त्याग कर अपने पीहर दासपा चली गई हैं एवं वहीं पर निवास कर रही हैं। उसके पुत्र भी कभी ग्राम नाना में नहीं रहे है एवं न ही स्व0 रामचन्द्रसिंहजी की किसी भी सम्पति पर इनका कभी भी कब्जा ही रहा हैं। वादग्रस्त भूमि बाबत् राजस्व न्यायालय में वाद विचाराधीन हैं। इस भूमि पर कुआ खोदकर कर विद्युत कनेक्शन भी श्रीमति धनकुंवर ने करीब 19 वर्ष पुर्व लिया हैं एवं तत्पश्चात् इसी आराजी पर ट्यूबवैल भी श्रीमति धनकुंवर व इनके पुत्रों ने खुदवाये हैं। वादग्रस्त भूमि पर गैर सायल पार्टी संख्या–01 का कभी किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं रहा। राजस्व वाद के लंबित रहते मात्र गैर सायल पार्टी संख्या–02 को परेशान करने की नियत से उक्त प्रकरण पेश किया है, जो विधि के प्रावधानो अनुसार चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने की दलील दी गई। अपनी दलीलो के समर्थन में विद्वान् वकील गैर सायल पार्टी संख्या–02 श्री अमृत परिहार द्वारा निम्न कानूनी उद्धहरण पेश किये गयेः–	

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख इस हुक्म की जारी

1. **Cr.L.R.(Raj) 1990 KaluV/s Karnidan& Ors.**पेज 606 से 610
जिसके अनुसार– दण्ड प्रक्रिया संहिता– धारा 145–राजस्व न्यायालय में लंबित मामले को लेकर करवाई–अन्तरित आवेदन खारिज– अभिनिर्धारित कि धारा 145 के अधीन लंबित कारवाई को चालू रखना, न्यायिक प्रक्रिया की शक्तियों का दुरूपयोग होगा।

2- **Cr.L.R.(Raj) 1991 Kanhaiyalal &Anr.V/s The State of Rajasthan & Ors. & Ors.**पेज 240 से 241
जिसके अनुसार– दण्ड प्रक्रिया संहिता– धारा 145– मामला राजस्व न्यायालय में वचाराधीन– अभिनिर्धारित कि यह संगत नहीं कि धारा 145 के अधीन समानान्तर अन्य कारवाई प्रारम्भ की जावे।

3- **Cr.L.R.(Raj) 1995 Hazari &Anr.V/s Sheoji and ors.**
जिसके अनुसार– दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973– धारा 145– भूमि संबंधी विवाद– सक्षम न्यायालय के समक्ष विवाद न्याय निर्णयन हेतु लंबित हैं– धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन हुई कारवाई पोषणीय नहीं रही– एस.डी.ओ. द्वारा पारित आदेश अधिकारिता हीन हैं– अभिनिर्धिरित, आदेश अपास्त किया जाता हैं और रिसीवर को कब्जा वापिस उसको सौपना है जिससे उसने लिया था।

4- **Cr.L.R.(Raj) 1985 Mahavir Prasad .V/s The State of Rajasthan & ors.**
जिसके अनुसार– दण्ड प्रक्रिया संहिता, –धारा 145– अर्न्तवर्ती– विरोधी पक्षकार को एतराज उठाने का अवसर दिया गया– यह एक आवश्यक तत्व हैं तथा आदेश को अर्न्तवर्ती आदेश नहीं कहा जा सकता हैं।

5- **RJT 2008(1) Mahipal Singh .V/s The State of Rakasthan & Ors.**
जिसके अनुसार– दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 –धारा 145, 146 – दुकानों की कुर्की का आदेश– निम्न पुनरीक्षण न्यायालय ने आदेश अपास्त किया– प्रश्नगत् दुकानों पर संयुक्त स्वामित्व– पक्षकारों के बीच दीवानी मामले विचाराधीन हैं लेकिन तथ्य एस.डी.एम. के ध्यान में नहीं लाया गया– निर्णित, आदेश सही अपास्त किया।

तथा इन कानूनी उद्धहरणो में प्रतिपादित सिद्धान्तो के अनुसार हस्तगत् प्रकरण के संबध में भी इसी न्यायालय में राजस्व वाद लंबित रहने से समानान्तर रुप से चल रही उक्त धारा 145 दण्ड प्रक्रिया की कार्यवाही को समाप्त किये जाने की दलील दी। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से हस्तगत् प्रकरण में यह जाहिर हैं कि रामचन्द्रसिंह के दो पत्नियां है, जिनमेंसे एक पत्नि खुशालकुंवर है, जिसका पुत्र रामचन्द्रसिंह है, जो प्रकरण में बतौर गैर सायल पार्टी संख्या–01 है, एवं रामचन्द्रसिंह की दुसरी पत्नि धनकुंवर हैं, जिसके चार पुत्र चन्द्रभानसिंह, अजीतभानसिंह वगैरा है, जिनमें से चन्द्रभानसिंह प्रकरण में बतौर गैर सायल पार्टी संख्या–02 हैं। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी भूमि है, जो वर्तमान में खुशालकंवर रामचन्द्रसिंह 1/2 30.25 हैक्टर एवं चन्द्रभानसिंह पुत्र रामचन्द्रसिंह 1/2 हिस्सा कौम राजपुत राणावत सा.देह खातेदार कुल खसरा–10 कुल रकबा 35.22 हैक्टर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। जिस भूमि बाबत् राजस्व न्यायालय में भी वादं लंबित हैं। इसके साथ ही प्रस्तुत इस्तगासा एवं जांच रिपोर्ट के अवलोकन से कही पर यह साबित नहीं हैं कि उक्त भूमि के कब्जे को लेकर गैर सायल पार्टी संख्या–01 व गैर सायल पार्टी संख्या–02 के मध्य लडाई झगडा होकर खुन खच्चर जैसी घटनाऐं हुई हो। प्रकरण दर्ज के समय एवं प्रकरण दर्ज के पश्चात् आज दिन तक उक्त भूमि के कब्जे को लेकर किसी प्रकार की ईमरजेन्ट सिचुऐशन उत्पन्न हुई हो, तथा मौके पर **Breach of peace** होने के कोई तथ्य प्रमाणित नहीं है। जिससे धारा 146 दण्ड प्रक्रिया संहिता में विधि के प्रावधानो अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम नाना के खसरा नंबर 77, 72, 73, 74, 83, 75, 76, 78, 79, 80 कुल खसरा–10 कुल रकबा 35.22 हैक्टर को कुर्क कर कब्जा रिसीवर के आधिपत्य में दिया

प्रखण्ड मजिस्ट्रेट

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
	जाना विधि सम्मत नहीं हैं। लिहाजा प्रकरण में कार्यवाही ड्रोप की जाती हैं। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाली उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाली (पाली)	

Scanned by CamScanner